न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–140/2024
GCMS No.- 2024/163

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमती फूलन पत्नी श्री रवीन्द्रसिंह जाति–जाट, निवासी–गोटन जिला–नागौर		1. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर। 2. जिला रसद अधिकारी नागौर 3. महादेव ट्रेडर्स।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री पवन कुमार काला।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री रामलाल।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रोपराईट उपस्थित।

निर्णय **दिनांक :–06.08.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 के विरूद्ध पेश की है। अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपना शपथ–पत्र पेश किया गया हैं। अपील के साथ The Rajasthan Transparency in Procurement Rule 2013 के नियम 84 के तहत अपील फाईल करने की फीस राशि रूपये 2500/–(अक्षरे दो हजार पांच सौ मात्र) जरिये बैंकर चैक संख्या 234389 दिनांक 18.07.2024 जिला कलक्टर,नागौर के नाम पेश किया,जो प्रभारी अधिकारी लेखा जिला कलक्टर कार्यालय,नागौर को सम्बन्धित मद में जमा करवाने हेतु पत्रांक/641 दिनांक 24.07.2024 को भेजा गया हैं। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिऐ नोटिस तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रामलाल प्रर्वतन निरीक्षक,नागौर को विभागीय अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त होने से उपस्थित होकर दिनांक 30.07.2024 को जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली हैं। दिनांक 30.07.2024 को सुनवाई के समय प्रकरण से सम्बन्धित असल रेकार्ड इनकी ओर से पेश किया गया जो संलग्न पत्रावली किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रोपराईट ने उपस्थित होकर दिनांक 30.07.2024 को जबाब पेश किया गया जो संलग्न पत्रावली हैं।

वकील अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के प्रतिनिधियों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि दिनांक 28.06.2024 को जिला रसद अधिकारी द्वारा मिड डे मिलई–बिड नोटिस जारी कर जिला नागौर में समस्त तहसीले यथा नागौर, मूण्डवा, खींवसर, जायल, मेड़ता, रियांबड़ी, भैरून्दा, डेगाना में एक साल के इकरारनामा के आधार पर ट्रांसपोर्ट वर्क फॉर मिड डे मिल के लिए नोटिस जारी किया था जिसके आधार पर अपीलार्थी ने नागौर जिले के खींवसर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

व मेड़ता तहसील से आवेदन प्रस्तुत किया था। हमारे द्वारा उपरोक्त ई–बिड नोटिस के आधार पर आवेदनकर्ता को दिनांक 12.07.2024 से पहले– पहले अपने समस्त दस्तावेज www.eproc. की वेबसाईट पर अपलोड करने थे जो अपीलार्थी ने समय से पूर्व ही अपने समस्त दस्तावेज उपरोक्त वेबसाईट पर अपलोड कर दिये थे एवं अपीलार्थी डी.डी के जरिये उपरोक्त निविदा से सम्बंधित समस्त बिड सिक्योरिटी राशि, प्रोसेसिंग फीस एवं अन्य सभी प्रकार की राशि जमा करवा दी थी जिसके सभी दस्तावेज हमने अपील के साथ संलग्न कर पेश किये हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा परिवहन हेतु परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई–प्रोक पर आमंत्रित निविदा के विरूद्ध निर्धारित समय तक प्राप्त छः प्रस्तावों में से 04 फर्मों को तकनीकी में कमी का कारण बता कर अस्वीकार कर दिया गया तथा फर्मों के मूल निविदा प्रस्ताव के अंतर्गत शॉर्ट फाल दिया जाना था एवं तत्संबंधी दस्तावेज के निर्धारित समय तक अपलोड किये जाने के निर्देश दिये जाने थे जो नहीं दिये गये हैं।

इसके बाद दिनांक 18.07.2024 को भोमिया जी बिल्डिंग मैटेरियल गोटन द्वारा निविदा के सम्बंध में शिकायत आपके कार्यालय में प्रस्तुत की है। कार्यालय में इस शिकायत के आधार पर फर्म द्वारा निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजो का पुर्नरावलोकन एवं जांच उपरांत तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में तकनीकी मूल्यांकन हेतु विभागीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 16.07.2024 को आयोजित की गई। प्राप्त दस्तावेजों में चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दू संख्या 1 से 21 सभी अपलोड दस्तावेजो की स्थिति निम्नानुसार है :–

1–भोमिया जी बिल्डिंग मैटेरियल गोटन :– निविदा शर्तों के साथ तकनीकी बिड चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 1 से 21 के अनुसार निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अपलोड किये जाने वाले समस्त दस्तावेज नोटेरी प्रमाणित होना के उपरांत भी बिन्दू संख्या 22 का हवाला देते हुए कार्यशील पूंजी के सम्बन्ध में शपथ पत्र नहीं का अभाव बताकर तकनीकी योग्यता में पूर्ण नहीं बताया, जबकि कार्यशील पूंजी के सम्बन्ध में चार्टेड एकाउंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया होने के उपरान्त भी तकनीकी योग्यता को पूर्ण नही होना बताया गया,जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व होने से उनका यह निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि जो चैक लिस्ट जारी की गई उसमें कॉलम संख्या 1 से 21 ही थे,जो हमारे पास मौजूद हैं,हमें इस निविदा से बाहर करने के उद्वेश्य से कॉलम संख्या 22 ओर जोड़ा गया हैं। फिर भी हमारे द्वारा इस कॉलम की पूर्ति की दृष्टि से चार्टेड एकाउंटेन्ट द्वारा जारी प्रमाण–पत्र हमारे द्वारा पूर्व में अपलोड किया जा चुका हैं,जो इस कॉलम की पूर्ति के लिए पर्याप्त दस्तावेज होते हुवे भी हमारे को इस निविदा से बाहर किया गया हैं,जो विधि विरूद्व हैं।

2–क्रय समिति द्वारा आपेक्ष संख्या 1 में चाहा गया कि अपीलार्थी की फर्म द्वारा कार्यशील पूंजी के शपथ पत्र का अभाव बताया है,जबकि चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया हुआ है। अपीलार्थी की फर्म द्वारा बिड में दिये गये समस्त शपथ–पत्र एवं दस्तावेज नोटेरी से दिनांक 08.07.2024 प्रमाणित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र एवं स्टाम्प पेपर पर नोटेरी के साथ दिनांक भी अंकित की गई है ऐसे में क्रय

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

2
कलक्टर नागौर

समिति द्वारा अपीलार्थी की फर्म को निविदा प्रस्ताव से निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित नही है।

3–क्रय समिति द्वारा आपेक्ष संख्या 1 में चाहा गया कि हमारी फर्म द्वारा कार्यशील पूंजी के सम्बंध में चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड नही किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा बिड आवेदन में वर्क कैपेसिटी के लिए शपथ – पत्र तथा 30,00,000/– रूपये का तहसीलदार द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र तथा हमारी फर्म द्वारा गत वर्ष 40755490/–रूपये का टर्न ऑवर किया गया जिसका प्रमाण पत्र चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया। उक्त सभी दस्तावेजो से यह प्रमाणित हो जाता है कि फर्म की वर्किंग कैपेसिटी 30,00,000/– रूपये से अधिक है परन्तु क्रय समिति द्वारा दिनांक 16.07.2024 को जारी तकनीकी पत्र द्वारा वर्क कार्यशील पूंजी का शपथ पत्र नहीं होना बताया हैं, लेकिन हमारे द्वारा दिनांक 10.07.2024 को सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था उसके बावजूद भी अपीलार्थी की फर्म को निविदा प्रस्ताव से निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित नही है।

4–दिनांक 16.07.2024 को क्रय समिति द्वारा जारी निविदा निरस्त कार्यवाही में आक्षेप जो हमारी फर्म के लिए बताये है उक्त आक्षेप क्रय समिति द्वारा जारी पत्र दिनांक 16.07.2024 को दस्तावेज की कमियां का शॉर्ट फॉल पत्र में नही दिया गया। अपीलार्थी की फर्म को तकनीकी रूप से असफल घोषित करवाना उपरोक्त अधिनियम के तहत न्यायोचित नही है।

प्रत्यर्थीगण द्वारा शॉर्ट फॉल अपीलार्थी को जारी नहीं किया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे ही कार्यशील पूंजी का सी.ए. द्वारा जारी प्रमाणपत्र अपलोड किया हुआ था। प्रत्यर्थीगण द्वारा केवल मात्र मनगढत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को उपरोक्त निविदा से बाहर करने की नियत से उपरोक्त कमिया बताकर अपीलार्थी की फर्म को निविदा प्रस्ताव से निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित नही है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क रहा कि उनके लिए तहसील क्षेत्र,मेड़ता एवं खींवसर दो जगहों के लिए निविदा चाही गई थी। मेड़ता की निविदा में केवल सामान्य शर्त संख्या 41 के 8(अ) के अनुसार फर्म के द्वारा कार्यशील पूँजी के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया होना बताया गया जबकि खींवसर तहसील की निविदा में बिड की सामान्य शर्त संख्या–(1)iv(b) के अनुसार 100 एम.टी. गौदाम होना का शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं करना एवं सामान्य शर्त संख्या 41 के 8(अ) के अनुसार फर्म के द्वारा कार्यशील पूंजी के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया होना बताया गया हैं। इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन हैं कि दोनों ब्लॉक निविदा के लिए एक साथ हमने आवेदन पेश किये हैं तथा दोनों में एक समान दस्तावेज पेश किये गये तो फिर दोनों में एक समान कमी क्यों नहीं बतायी गई हैं। हमारे द्वारा गोदाम के ब्ल्यू प्रिन्ट प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किये हैं,जिससे भी यह प्रमाणित हैं कि इस निविदा की सम्पूर्ण प्रकिया की पूर्ति हमारे द्वारा की गई हैं। अगर कमी थी तो दोनों में एक समान कमी होनी थी,एक आवेदन में कमी कैसे हो सकती हैं।

अपीलार्थी ने अपने सम्पूर्ण दस्तावेज एक समय सीमा के अंदर अपलोड कर दिये थे उसके बावजूद भी हमारे आवेदन–पत्र में किसी दस्तावेज की पूर्ति की जानी थी तो शॉर्ट फॉल

कलक्टर नागौर

दिया जाकर कमि पूर्ति करवायी जा सकती थी परन्तु उनके द्वारा शॉर्ट फॉल नहीं दिया गया। अपीलार्थी की फर्म जो कि क्रय समिति द्वारा जो भी दस्तावेज चाहे गये हैं जो सम्पूर्ण नोटेरी सुदा दस्तावेज एवं अन्य सभी दस्तावेज नियमानुसार क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे उसके बावजूद भी उपरोक्त क्रय समिति ने जानबुझकर बिना किसी आधार पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उपरोक्त फर्म की निविदा को निरस्त कर दिया जो कि कतई न्यायोचित नहीं है।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस के समय यह भी बताया कि मै0 गितांजली इन्डस्ट्रीज द्वारा भी हमारे साथ तहसील खींवसर के लिए आवेदन किया था,उनका तकनीकी बिड स्वीकार कर लिया गया हैं,जबकि उनके पास फाईनेंशियल बीड नहीं था। हमारे पास फाईनेंशियल बीड होते हुवे भी तकनीकी बिड में कमी बताकर हमारे को इस निविदा से बाहर किया गया,जो पक्षपात पूर्ण हैं। यह पूरी निविदा ही निरस्त की जाकर नई निविदा ली जानी चाहिऐ।

अतः निवेदन हैं कि इस अपील के तहत निविदा संख्या 1/2024–25 दिनांक 28.06.2024 को निरस्त कर नई निविदा निकालने का आदेश प्रदान किया जावें।

यह भी निवेदन है कि उक्त आपेक्षो पर हमारे द्वारा बिन्दुवार प्रत्युत्तर साक्ष्यों के साथ अपील में पेश किये गये हैं, जिनका पुर्नरावलोकन करवाकर हमारी फर्म को तकनीकी रूप से सफल घोषित करवाने की कृपा करे एवं उपरोक्त टेण्डर को अपीलार्थी की फर्म को दिये जाने के साथ–साथ अन्य कोई उचित आदेश जो अपीलार्थी के हक में हो सादर फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग,नागौर ने दौराने बहस उनके द्वारा पेश किये गये जबाब को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि हमारे विभाग द्वारा मिड–डे मिल के लिए ई–निविदा जारी की गई है। अपीलान्ट द्वारा बिड की सामान्य शर्त संख्या–(1)iv(b) के अनुसार अपीलान्ट के पास 100एम.टी. भण्डारण क्षमता का गोदाम होने का शपथ पत्र एवं अपीलान्ट द्वारा बिड की सामान्य शर्त संख्या– (41)–8(अ) के अनुसार न्यूनतम 20 लाख रूपये कार्यशील पूंजी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं। इसलिए इन तकनीकी कमी के कारणों के कारण इस फर्म के प्रस्ताव को उपापन समिति द्वारा अस्वीकार किया गया हैं,जो सही अस्वीकार किया गया हैं। क्योंकि उपापन समिति द्वारा तकनीकी बिड खोलने के पश्चात समस्त दस्तावेजों की जॉच की गई व जॉच कर चैक लिस्ट तैयार की गई व उपापन समिति के निर्णय के अनुसार जिन फर्मों के बिड की शर्तों के अनुसार दस्तावेज नहीं पाये गये उन फर्मों को वित्तीय निविदा हेतु अयोग्य घोषित किया गया है, जिसमें अपीलान्ट की फर्म भी सम्मिलित है, जो सही व नियमानुसार है। अपीलान्ट का कथन हैं कि फर्मों के मूल निविदा प्रस्ताव के अन्तर्गत शॉर्टफॉल दिया जाना था एवं निर्धारित समय तक अपलोड किये जाने के निर्देश दिये जाने थे, पर नहीं दिये गये। अपीलान्ट का उक्त कथन पूर्णतया सही नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं, क्योंकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 61(1) के अनुसार निविदा में गैर सारवान, गैर–अनुरूपता जिसके कारण कोई तात्विक विचलन, आरक्षण या लोप न होता हो यथा नियम 61(2) के अनुसार शॉर्टफॉल के तहत संपरीक्षित लेखा विवरण, मू.प.क. (वेट), अनापत्ति प्रमाण पत्र, पेन इत्यादि ही दस्तावेज शॉर्टफॉल के तहत

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

उपापन समिति द्वारा फर्म को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकता था। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार शपथ पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु शॉर्टफॉल नहीं दिया जा सकता है।

विभागीय पेरोकार का यह भी कथन हैं कि अपीलान्ट द्वारा जिला रसद कार्यालय एवं उपापन समिति के समक्ष ई–निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलान्ट का कथन हैं कि दिनांक 16.07.2024 को विभागीय कय समिति की बैठक आयोजित की गई थी गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि दिनांक 16.07.2024 को उपापन समिति द्वारा वित्तीय ई–निविदा खोली गई थी। यह है कि अपीलान्ट द्वारा चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या–1 से 21 तक सभी दस्तावेज अपलोड करने का कथन किया जो आंशिक रूप से स्वीकार है क्योंकि अपीलान्ट फर्म द्वारा चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या–16 व बिड की सामान्य शर्त संख्या–(1)iv(b) के अनुसार अपीलान्ट द्वारा 100एम.टी. भण्डारण क्षमता का गोदाम होने का शपथ पत्र भौतिक रूप एवं ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्तुत नहीं किया है एवं बिड की सामान्य शर्त संख्या–(41)–8(अ) के अनुसार न्यूनतम 20 लाख रूपये कार्यशील पूंजी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट फर्म द्वारा निविदा शर्तों के साथ तकनीकी बिड चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या–1 से 21 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा समस्त दस्तावेज नोटेरी प्रमाणित होने के बावजूद बिन्दु संख्या–22 का हवाला देते हुए कार्यशील पूंजी के संबंध में शपथ पत्र नहीं होने का अभाव बताकर तकनीकी योग्यता में पूर्ण होना नहीं बताया जबकि फर्म के द्वारा चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड होने का कथन किया है। अपीलान्ट का उक्त कथन अस्वीकार है क्योंकि निविदा की सामान्य शर्तों के बिन्दु संख्या–1 से 79 तक एवं चैक लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज ऑनलाईन एवं भौतिक रूप से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने थे, परन्तु अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है जबकि अपीलान्ट को बिड की सामान्य शर्त संख्या–(41)–8(अ) के अनुसार न्यूनतम 20 लाख रूपये कार्यशील पूंजी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना था, जो नहीं किया है। इसलिए भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि उपापन समिति द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र एवं वार्षिक टर्न ओवर के संबंध में कोई आक्षेप अपीलान्ट के विरूद्ध नहीं लगाया गया है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र एवं चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा जारी वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र के आधार अपनी वर्किंग केपेसिटी 30लाख से अधिक होना बताया है एवं दिनांक 10.07.2024 को सी.ए. द्वारा कार्यशील पूंजी के संबंध में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना बताया है, जबकि अपीलान्ट को बिड की सामान्य शर्त संख्या–(41)–8(अ) के अनुसार न्यूनतम 20 लाख रूपये कार्यशील पूंजी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना था, जो नहीं किया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 16.07.2024 को निविदा निरस्त कार्यवाही में उसकी फर्म द्वारा दस्तावेज की कमियों के संबंध में शार्टफॉल नहीं देने को लेकर अपीलान्ट ने जो कथन किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने से अस्वीकार है क्योंकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 61(1) के

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अनुसार निविदा में गैर सारवान, गैर–अनुरूपता जिसके कारण कोई तात्विक विचलन, आरक्षण या लोप न होता हो यथा नियम 61(2) के अनुसार शॉर्टफॉल के तहत संपरीक्षित लेखा विवरण, मू.प.क. (वेट), अनापत्ति प्रमाण पत्र, पेन इत्यादि ही दस्तावेज शॉर्टफॉल के तहत उपापन समिति द्वारा फर्म को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकता था। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार अपीलान्ट फर्म की कार्यशील पूंजी एवं 100एम.टी. भण्डारण क्षमता का गोदाम होने के शपथ पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु शार्टफॉल नहीं दिया जा सकता है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

विभागीय प्रतिनिधि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में यह भी बताया कि हमारे द्वारा दिनांक 18.07.2024 को किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया हैं,जबकि अपील में आदेश दिनांक 18.07.2024 बताया जाकर यह अपील पेश की हैं। इस प्रकार जब कोई आदेश ही दिनांक 18.07.2024 को जारी नहीं किया गया तो उसकी अपील दायर नहीं की जा सकती हैं। द्वितीय में अपीलांट को अपील के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होता हैं। अपीलांट द्वारा अपील के साथ शपथ–पत्र जरूर पेश किया गया परन्तु यह प्रस्तुत शपथ–पत्र तस्दीक सुदा नहीं होने से मान्य नहीं हैं,इसलिए भी यह अपील ग्राह्य नहीं होने से खारिज योग्य हैं।

बहस में यह भी कथन था कि अपीलांट द्वारा अपील के साथ जो निर्धारित अपील की फीस का बैंकर चैक जमा करवाया गया वह बैंकर चैक अपीलांट की फर्म मैं0 श्री भोमियाजी बिल्डिंग मेटेरियल द्वारा जमा नहीं करवायी जाकर यह बैंकर चैक ओम महादेव कृपा,नागौर की ओर से पेश किया गया हैं,जबकि ओम महोदय कृपा फर्म इस अपील में पक्षकार ही नहीं हैं। इसलिए अपील में अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील फीस का अभाव होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

जहॉ तक मैं. गितांजली इंडस्ट्रीज के फाईनेंशियल बिड का आक्षेप लिया गया हैं इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन हैं कि प्रथम में इस फर्म को इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा द्वितीय में तकनीकी बिड स्वीकृत होने के बाद ही फाईनेंशियल बिड के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती हैं,इसलिए इस स्तर पर इस अपील में यह कथन लिया जाना गलत हैं। बहस में अन्य फर्मो के सम्बन्ध में भी विद्वान वकील अपीलांट द्वारा आपत्ति की हैं। इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन हैं कि अन्य फर्मों को इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। इसलिए इस कथन का कोई महत्व नहीं हैं।

बहस में यह भी तर्क किया कि निविदा खोलने हेतु उपापन समिति का गठन किया हुआ जिसमें जिला रसद अधिकारी,नागौर,जिला कोषाधिकारी,नागौर,जिला शिक्षा अधिकारी,नागौर जिला परिवहन अधिकारी,नागौर सदस्य हैं तथा इस कमेटी का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर हैं। इस समिति द्वारा सम्पूर्ण प्राप्त निविदाओं का ऑन–लाईन एवं ऑफ–लाईन प्राप्त दस्तावेजों की पूर्ण जॉच करके इन सभी अधिकारियों द्वारा सर्वसमिति से इस फर्म को तकनीकी कमियों के कारण बाहर किया हैं,जिसमें अविश्वास किये जाने के कोई कारण विद्यमान नहीं हैं। सभी कार्य पूर्ण प्रकिया से किया जा रहा हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट केवल मात्र प्रकिया को बाधित करने एवं विलम्ब करने की नियत से पेश की गई हैं,जो आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं,इसलिए खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने पुनः बहस में यह निवेदन किया कि हमारे द्वारा बैंकर चैक से अपील की फीस का भुगतान किया गया हैं,जो हमने अपील के साथ संलग्न किया। इसलिए अपील की फीस के सम्बन्ध में एतराज किया जाना उचित नहीं हैं। जहॉ तक आदेश दिनांक 18.07.2024 के विरूद्व यह अपील पेश किया जाना अंकित किया गया जो वास्तव में दिनांक 16.07.2024 अंकित होना चाहिऐ था परन्तु लिपिकीय/टंकण की भूल से अपील में दिनांक 18.07.2024 अंकित हो गया हैं,जिसे दिनांक 16.07.2024 पढ़ा जाकर अपील का निर्णय किया जावें। राजकीय प्रतिनिधि ने बहस में बताया की चैंक लिस्ट कोई महत्व नहीं रखती है तो हमारा मत हैं विभाग द्वारा चैक लिस्ट जारी ही क्यों की गई हैं। इस प्रकार निविदा में ही विसंगतीयॉ हैं,इसलिए यह सम्पूर्ण निविदा निरस्त की जानी चाहिऐं। हमारा द्वारा नक्शा एवं ब्ल्यू प्रिन्ट निविदा प्रस्ताव में लगाये हुवे हैं तथा हमनें निविदा की सभी शर्तो की पूर्तियॉ कर दी हैं,इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

राजकीय प्रतिनिधि का पुनः जबाब बहस में कथन हैं कि जब कमी पूर्तियॉ हो रखी हैं या पूर्ति की जा चुकी थी तो अपील में बार–बार शॉर्टफॉल हेतु क्यों मांग की जा रही हैं। जब किसी दस्तावेज की कमी हैं तब ही तो शॉर्टफॉल की मांग गई हैं,जिससे भी यह साबित हैं कि अपीलांट द्वारा निविदा के सम्बन्ध में पूर्ण दस्तावेज पूर्ति नहीं की हैं,इसलिए भी अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं। इस अपील के माध्यम से उपापन समिति को झूठा करने का प्रयास किया जा रहा हैं। टैण्डर की प्रकिया कमेटी द्वारा ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन प्राप्त दस्तावेजों की पूर्ण जॉच की जाकर की जा रही हैं।

बहस में यह भी तर्क किया कि उपापन समिति के किसी भी आदेश की प्रथम अपील,द्वितिय अपील पेश करने के प्रावधान किये हुवे हैं तथा उन प्रावधानों के तहत प्रथम अपील श्रीमान् के न्यायालय में पेश की जानी होती हैं,उसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में S.B. Civil Writ Petition No. 12188/2024 दायर की हैं,जिसमें भी माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय को अपील का निस्तारण करने का आदेश दिनांक 02.08.2024 को जारी किये हैं।

उभय पक्ष की बहस मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने मुख्य रूप से यह निवेदन किया हैं कि उनके द्वारा ई–निविदा की समस्त शर्तो की पालना की गई हैं,जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का जबाब में कथन हैं कि अपीलांट की फर्म द्वारा ई–निविदा की समस्त शर्तो की पालना नहीं करने से इस फर्म को तकनिकी कमी के कारण निविदा से बाहर किया गया हैं।

उपरोक्त इन बिन्दूओं के निस्तारण के लिए अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एवं अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। कार्यालय जिला रसद अधिकारी, नागौर की ई–निविदा सूचना संख्या 01/2024–25 जरिऐ कमांक/रसद/मिड डे मील परिवहन/2024/1106 दिनांक 28.06.2024 को जारी की जाकर"मिड डे मील

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम,नागौर/मेड़ता/किशनगढ़/अन्य अधिकृत गोदाम से नागौर के विभिन्न राजकीय विद्यालय एवं मदरसा बोर्ड के रजिस्टर्ड मदरसों में वित्तीय वर्ष 2024–2025(अनुबन्ध से एक वर्ष की अवधि) की अवधि के लिए पोषाहार(खाद्यान्न गेहूँ/चावल) परिवहन के लिए ई–निविदा पद्धति से आरटीपीपी नियम 2012 एवं 2013 के तहत ई–निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें इच्छुक फर्मो द्वारा दिनांक 02.07.2024 से 12.07.2024 समय दोपहर 2.00 बजे तक ऑन लाईन दस्तावेज एवं बिड आवेदन करना था तथा तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक 12.07.2024 को सांय 5.00 बजे नियत की गई। इस प्रकिया के तहत अपीलांट की फर्म द्वारा भी ई–निविदा प्रस्तुत की गई तथा निविदा के साथ अपने दस्तावेज ऑन लाईन/ऑफ लाईन मेड़ता एवं खींवसर ब्लॉक के लिए पेश किये गये। ई–निविदा के तहत मेड़ता ब्लॉक के लिए कुल 06 फर्मो एवं ब्लॉक खींवसर के लिए 04 फर्मों के आवेदन/दस्तावेज प्राप्त हुवे। उपापन समिति के निर्णय अनुसार दिनांक 16.07.2024 को मिड–डे–मिल की प्राप्त निविदाओं के तकनीकी बिड पात्रता खोली गई,सभी निविदाओं के दस्तावेज,डाउनलोड किए गए दस्तावेजों की पात्रता जॉच करने पर ब्लॉक मेड़ता के लिए मै0 श्री भोमियाजी बिलडिंग मेटरियल के द्वारा कार्यशील पूँजी के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जो कि बिड की सामान्य शर्त संख्या 41 के 8(अ) के अनुसार संलग्न नहीं होने से अस्वीकार किया हैं। एवं इसी प्रकार ब्लॉक खींवसर में मैसर्स श्री भोमियाजी बिल्डींग मेटरियल द्वारा बिड की सामान्य शर्त संख्या 01(4बी) के अनुसार 100 एम.टी. गौदाम का शपथ–पत्र तथा फर्म की कार्यशील पूँजी के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं जो कि बिड की सामान्य शर्त संख्या 41के 8(अ) के अनुसार संलग्न नहीं होने से अस्वीकार किया हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बिड की विशेष शर्ते एवं निर्देश 41(8)(अ) का अवलोकन किया जो इस प्रकार हैं 41(8)–बिड प्रपत्र के साथ सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं अन्यथा बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। 41(8)(अ) इस प्रकार हैं–"कार्यशील पूंजी न्यूनतम 20.00 लाख होने संबंधी शपथ–पत्र तथा बिडदाता के स्वयं के नाम बैंक खाते की पास बुक की प्रति।"अपीलांट के प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के अवलोकन से इस विशेष शर्त के अनुसार ब्लॉक मेड़ता एवं खींवसर के लिए पेश किये आवेदन में कार्यशील पूंजी न्यूनतम 20.00 लाख होने संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं,जो अपीलांट को पेश करना चाहिऐ था।

इसी संदर्भ में निविदा की सामान्य शर्त संख्या :–(1)iv(b) इस प्रकार हैं :–

1) Bidder should submit following document/ certificate/ Affidavit:-
iv (b) – Bidder shall also submit affidavit of atleast 100 MT. capacity godown at the time of Bid submission of one block.

अपीलांट द्वारा ब्लॉक खींवसर हेतु पेश किये गये आवेदन/दस्तावेजों में उपरोक्त शर्त के अनुसार 100 एम.टी.गोदाम होने का शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया हैं,जो अपीलांट को पेश करना चाहिऐं था।

बिड की सामान्य शर्त संख्या 8 इस प्रकार हैं :– 8) Bids shall be strictly in conformity with prescribed terms and conditions. Bid should not contain any conditions other then the prescribed terms & conditions. Biders, who deviate from these terms and conditions, are liable to be rejected.

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

उपरोक्त दस्तावेजों की कमी होने के कारण एवं अपीलांट निविदा की शर्त संख्या 8 की पालना करनें में असमर्थ रहने से उपापन समिति द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.07.2024 से अपीलांट की फर्म के आवेदन/निविदा प्रस्ताव को तकनीकी बिड पात्रता की कमी के कारण अस्वीकार किया गया हैं,जो उचित प्रतीत होता हैं।

प्रस्तुत अपील के अवलोकन से भी यह प्रकट होता हैं कि अपीलांट ने इस कमी की पूर्ति के लिए शॉर्ट फॉल दिये जाने की मांग की थी,जिससे यह साबित होता हैं कि अपीलांट द्वारा पेश किये गये आवेदन/दस्तावेजों में उपरोक्त दस्तावेजों की कमी थी।

अपीलान्ट ने दिनांक 16.07.2024 को निविदा निरस्त कार्यवाही में उसकी फर्म द्वारा दस्तावेज की कमियों के संबंध में शार्टफॉल नहीं देने को लेकर जो कथन किया है, शार्टफॉल देने के सम्बन्ध में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 61(1) इस प्रकार हैं "बोली मूल्यांकन समिति,बोली में किन्हीं गैर–अनुरूपताओं का अधित्यजन कर सकती हैं जिसके कारण कोई तात्विक विचलन, आरक्षण या लोप न होता हो,ऐसी बोली सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी समझी जायेगी। नियम 61(2) इस प्रकार हैं बोली मूल्यांकन समिति बोली लगाने वाले को आवश्यक सूचना या दस्तावेज जैसे कि संपरीक्षित लेखा विवरण, मू.प.क. (वैट), अनापत्ति प्रमाण पत्र, पेन इत्यादि युक्तियुक्त कालावधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकेंगी। बोली लगाने वाले के अनुरोध का पालन करने में असफल होने के परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार किया जा सकेगा।"इन नियमों के तहत इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में रही शपथ–पत्रों की कमियों के लिए शॉर्टफॉल दिया जाना उचित नहीं कहा जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपापन समिति द्वारा अपीलांट के विरूद्व दिनांक 16.07.2024 को लिया गया अस्वीकार निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को निर्णय की प्रति मय मूल रिकार्ड के लौटाया जावें। निर्णय की प्रति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 85(3) के अनुसार अपील के पक्षकारान को निःशुल्क भिजवायी जावें एवं नियम 85(4) के अनुसार निर्णय की प्रति राज्य लोक उपापन पोर्टल पर दर्शित करने हेतु जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्देशित किया जाता हैं।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
कलक्टर नागौर
नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
कलक्टर नागौर